

---

## अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय  
प्रतिवेदन व्यवहार

---



## अध्याय 4

### लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ अपने वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहारों में राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सुदृढ़ आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार, वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ उस अनुपालन की स्थिति पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण प्रतिवेदन सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और संक्रियात्मक हो, तो रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

#### 4.1 राज्य की संचित निधि या लोकलेखा निधि के बाहरी निधि

अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्र द्वारा निर्गत उस सरकार द्वारा जुटाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान से सरकार को प्राप्त सभी रकम राज्य के संचित निधि के नामित होने के लिए एक संचित निधि गठित की जाएगी।

##### 4.1.1 श्रम उपकर

श्रम और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 की धारा 5 के अनुसार, ठेकेदारों से श्रम उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि को श्रम कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

वित्त लेखे के अनुसार, 2021-22 के दौरान, सरकार ने श्रम उपकर के रूप में ₹ 54.86 करोड़ एकत्र किये। इसके अलावा 2021-22 तक सरकारी परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले ठेकेदारों से उपकर के रूप में एकत्रित ₹ 664.19 करोड़ को श्रम कल्याण बोर्ड निधि में मार्च 2022 के अंत तक स्थानांतरित नहीं किया गया था, जिससे संबंधित वर्षों (2008-2022) के दौरान राजस्व अधिशेष में अत्योक्ति तथा राज्य के राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई। हालांकि ₹ 154.00 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के पश्चात् जून 2022 में बोर्ड को हस्तांतरित किए गए थे।

तालिका 4.1: सरकार को प्राप्त श्रम उपकर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर के रूप में प्राप्त राशि
2016-17 तक	312.90
2017-18	80.77
2018-19	79.81
2019-20	76.70
2020-21	59.15
2021-22	54.86
<b>कुल</b>	<b>664.19</b>

यह देखा गया कि श्रम कल्याण बोर्ड ने केवल 2012-13 तक के अपने लेखों को अंतिम रूप दिया। 2021-22 तक बोर्ड द्वारा प्रस्तुत निधि की प्राप्तियाँ और उपयोगिताएँ तालिका 4.2 में दर्शाई गयी है।

तालिका 4.2: बोर्ड द्वारा प्राप्त राशियों का विवरण और इसकी उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा प्रदान की गयी राशि	बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष उपकर	कुल प्राप्ति	बोर्ड द्वारा योजनाओं पर व्यय <sup>1</sup>	स्थापना पर व्यय राशि	कुल व्यय	अनुपयोगी शेष राशि
(1)	(2)	(3)	{{(2+3)=4}}	(5)	(6)	{{(5+6)=7}}	{{(4-7)=8}}
2015-16 तक	5.08	252.16	257.24	104.08	1.66	105.74	151.50
2016-17	0.00	70.26	70.26	48.33	1.29	49.62	20.64
2017-18	0.00	74.01	74.01	41.64	0.90	42.54	31.47
2018-19	0.00	90.19	90.19	59.19	0.89	60.08	30.10
2019-20	0.00	120.00	120.00	75.78	0.83	76.61	43.40
2020-21	0.00	171.65	171.65	101.30	1.60	102.90	68.75
2021-22	0.00	124.31	124.31	101.64	2.23	103.87	20.44
<b>कुल</b>	<b>5.08</b>	<b>902.58</b>	<b>907.66</b>	<b>531.96</b>	<b>9.40</b>	<b>541.36</b>	<b>366.36</b>

स्रोत: झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

2009-10 से 2021-22 के दौरान, ₹ 531.96 करोड़ कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए गए, जबकि ₹ 9.40 करोड़ स्थापना पर व्यय किए गए। बोर्ड ने उपलब्ध धन का केवल 59.64 प्रतिशत ही उपयोग किया।

## 4.2 गैर-बजट उधार

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) एवं विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) द्वारा गैर-बजट उधार या तो स्पष्ट भुगतान या प्रत्याभूतियाँ होते हैं और ये राज्य के आकस्मिक दायित्व होते हैं। राज्य द्वारा प्रदत्त सूचना अनुसार 2021-22 के दौरान राज्य के पी.एस.यू./ एस.पी.वी. द्वारा ऐसी कोई गैर-बजट उधारी नहीं की गई।

<sup>1</sup> झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड दिनांक 10.11.2022 को प्रदान किए गए विवरणी के अनुसार कल्याण बोर्ड के तहत 26 योजनाएँ चल रही हैं।

### 4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः हस्तांतरित धनराशि

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त धन/कोष हस्तांतरित करती है।

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को, जिन्हें महत्त्वपूर्ण माना गया, सीधे वृहत मात्रा में निधि हस्तांतरित की थी। जैसा कि इन निधियों को राज्य के बजट/राज्य कोषागार प्रणाली में नहीं लिया गया था, इन निधियों के व्यय के प्रवाह को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जा सका। इस प्रकार, उस सीमा तक, वित्त लेखे से लिए गए राज्य की प्राप्तियों तथा व्यय के साथ-साथ अन्य राजकोषीय चर/मापदंड सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते।

2014-15 के दौरान, भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित समस्त सहायता को राज्य के संचित निधि के द्वारा जारी करने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यकारी एजेंसी को निधि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में 2013-14 में ₹ 2,601.80 करोड़ के सापेक्ष 2014-15 में ₹ 130.92 करोड़ की कमी आयी। हालांकि यह बाद के वर्षों में कार्यकारी एजेंसी को निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण निधि का भाग सतत रूप से बढ़ता रहा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत, ₹ 1,940.59 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को स्थानांतरित कर दिया गया था। यह कुल राजस्व प्रप्तियों (₹ 69,722 करोड़) और राजस्व व्यय (₹ 62,778 करोड़) का क्रमशः 2.78 और 3.09 प्रतिशत था। राज्य की संचित निधि के बिना अंतरित निधियों को कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरण, न केवल उस सीमा तक राज्य के बजट और व्यय को संकुचित किया (₹ 1,940.59 करोड़), बल्कि यह भी निहित है कि बनाई गई संपत्ति और लोगों के लिए विस्तारित लाभों की लागत राज्य के खातों में परिलक्षित नहीं हुए।

वर्ष 2021-22 के दौरान जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय पेयजल मिशन, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम, खादान्नों की राज्य के अंतर्गत आवाजाही और राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के तहत एफ.पी.एस डीलरो के मार्जिन आदि योजनाओं सहित राशि सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित कर दी गई थी।

कुछ प्रमुख एजेंसियों को हस्तांतरित निधि का विवरण तालिका 4.3 में दिया गया है।

**तालिका 4.3: भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई निधि**

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	भारत सरकार के योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2021-22 में भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना	झारखण्ड राज्य ग्रामीण नियोजन गारंटी कौंसिल	720.84
2	जल जीवन मिशन	झारखण्ड राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन	512.22
3	एनएफएसए के तहत खाद्य तथा अनाज का अंतर्राज्यीय आवाजाही	झारखण्ड राज्य खाद्य तथा जनापूर्ति निगम	282.50
4	मवेशी स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण	मवेशी तथा भैसा विकास के लिए झारखण्ड राज्य कार्यकारी एजेंसी	64.16
5	सामर्थ्य- लिंग बजट शोध कौशल प्रशिक्षण	महिला बाल विकास तथा सोसायटी	58.39
6	एमपीएलएडी	उपायुक्त / जिला मजिस्ट्रेट	39.50
7	चीनी सब्सिडी	झारखण्ड राज्य खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम	38.43
8	अन्य	विभिन्न एजेंसियाँ	224.55
<b>कुल</b>			<b>1,940.59</b>

स्रोत: राज्य लेखा (2021-22) के लिए लेखा-महानियंत्रक के सार्वजनिक/लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल

चूंकि ये धनराशि राज्य के बजट के माध्यम से नहीं गुजरती है, अतः ये राज्य सरकार के लेखों में परिलिखित नहीं होती है। ये स्थानांतरण वित्त लेखों के खंड II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किए जाते हैं।

#### 4.4 स्थानीय निकाय निधि जमा

राज्य पंचायती राज अधिनियमों में प्रावधान है कि जिला परिषद (जेड.पी) पंचायत समिति (पी.एस) और ग्राम पंचायत (जी.पी) क्रमशः जेडपी निधि, पी.एस निधि और जी.पी निधि (मुख्य शीर्ष 8448 के अंतर्गत स्थानीय निधियों की जमा - 109- पंचायत निकाय निधियों के अंतर्गत) का संधारण करेगी जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और पी.आर.आई. द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन शामिल होंगे, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग पुरस्कार के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और स्वयं का राजस्व, जिसमें कर और पंचायत की गैर-कर प्राप्तियां शामिल है। अधिनियमों में यह भी परिकल्पना की गई है कि नगरपालिका कोष नगरपालिका द्वारा संधारित किया जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और नगर पालिकाओं द्वारा प्राप्त अन्य सभी धन प्रमुख शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों का जमा-102 नगरपालिका निधि के तहत नगरपालिका निधि में रखा जाता है। विवरण तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4: स्थानीय निकाय निधि जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
पंचायती राज संस्थाएँ	(8448-109)	प्रारंभिक शेष	212.71	309.67	364.38	338.12	351.01
		प्राप्तियाँ	181.74	128.99	124.60	100.19	90.78
		व्यय	84.78	74.28	150.86	87.30	109.67
		अंत शेष	309.67	364.38	338.12	351.01	332.12
शहरी स्थानीय निकाय	(8448-102)	प्रारंभिक शेष	2,003.17	1,870.03	1,959.09	2,077.75	2,341.87
		प्राप्तियाँ	1,122.21	915.05	1,252.93	1,204.29	543.41
		व्यय	1,255.35	825.99	1,134.27	940.17	1,422.14
		अंत शेष	1,870.03	1,959.09	2,077.75	2,341.87	1,463.14

स्रोत: संबन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, इन लेखा शीर्षों से यू.एल.बी और पी.आर.आई. द्वारा व्यय अधिकतर वर्षों में, वर्ष 2020-21 तक से प्राप्तियों की तुलना में बहुत कम था। हालाँकि, 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में वृद्धि हुई, जहाँ सरकार के द्वारा प्रदान की गयी निधि में अत्यधिक कमी आई, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कम शेष का कारण था।


#### 4.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.) में प्रावधान है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदान ग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए और सत्यापन के बाद अनुदान के आहरण के 12 महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले. व. हक.) झारखण्ड को अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2020-21 तक दिए गए अनुदान के संबंध में देय कुल ₹ 1,03,459.14 करोड़ के 39,064 उ.प्र.प. मार्च 2022 के अंत तक बकाया थे।

2020-21 तथा 2021-22 के दौरान, ₹ 20,077.67 करोड़ और ₹ 19,629.95 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से क्रमशः ₹ 6,369.87 करोड़ और ₹ 5,358.62 करोड़ की राशि पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए निकायों और प्राधिकरणों को दी गई थी। हालाँकि, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के संबंध में उ.प्र.प. अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक महत्वपूर्ण भाग पाँच विभागों के विरुद्ध बकाया था जो चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

**चार्ट 4.1: प्रमुख अनुदानों के संबंध में बकाया उ.प्र.प.**



31 मार्च, 2022 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (उ.प्र.प.) की संख्या और राशि तालिका 4.5 में दर्शायी गयी है।

**तालिका 4.5: उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण का बकाया**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		समाशोधन		विलंब प्रस्तुति	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017-18 तक	21,399	39,115.53	4,219	19,545.33	515	6,114.69	25,103	52,546.17
2018-19	25,103	52,546.17	4,483	17,435.44	228	278.62	29,358	69,702.99
2019-20	29,358	69,702.99	4,749	18,734.70	90	390.21	34,017	88,047.48
2020-21*	34,017	88,047.48	5,075	15,806.55	28	394.89	39,064	1,03,459.14

\*2020-21 के दौरान संवितरित किए गए जी.आई.ए. के लिए यू.सी. 2021-22 के अवधि के लिए देय हुए।

बकाया उ.प्र.प. की संख्या और राशि का वर्षवार ब्यौरा तालिका 4.6 में दिया गया है।

**तालिका 4.6: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार विभाजन**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	राशि
2010-11 तक	2,191	966.09
2011-12	494	273.38
2012-13	936	1,135.61
2013-14	1,320	1,504.44
2014-15	2,134	5,354.78
2015-16	8,902	9,573.72
2016-17	4,868	14,497.51
2017-18	3,968	18,591.87
2018-19	4,441	17,044.72
2019-20	4,735	18,710.47
2020-21	5,075	15,806.55
<b>कुल</b>	<b>39,064</b>	<b>1,03,459.14</b>

जी.आई.ए विपत्रों के विरुद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति, वांछित उद्देश्य के लिए अनुदानों के उपयोग को समय पर जमा करना सुनिश्चित करने के, विभागीय अधिकारियों की नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता को इंगित करती है। उ.प्र.प. के अधिक लम्बित होने से धन के गबन और धोखाधड़ी का जोखिम रहता

है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने का कारण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

#### 4.5.1 अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

जे.टी.सी. में वर्णित है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त किया जाना है और सत्यापन के पश्चात, अनुदान निकासी के दिन से 12 महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले. व. हक.) झारखण्ड को अग्रेषित करना है।

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रमंडल) झारखण्ड सरकार की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि मुख्य शीर्ष 2515 के तहत, ₹ 1,850.18 (2019-20 तक ₹ 1,020.12 करोड़ और 2020-21 के लिए ₹ 830.06 करोड़) की निकासी की गयी थी, जिसके लिए 31 मार्च 2021 तक 26 उ.प्र.प. समर्पित करने की आवश्यकता थी।

आगे, मुख्य शीर्ष 2515 के अंतर्गत 26 अनुदानों में से 12 की संवीक्षा से पता चला कि एजेंसी (जे.एस.आर.आर.डी.ए) द्वारा राशि ₹ 1,288.98 करोड़ की पांच उ.प्र.प. विभाग को भेजी गई थी, जिसे विभाग द्वारा सत्यापन के बाद प्रधान महालेखाकार (ले. व. हक.) को अग्रेषित की जानी थी। शेष ₹ 561.20 करोड़ राशि की 21 जी.आई.ए. का उ.प्र.प. एजेंसी द्वारा विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया था। जे.एस.आर.आर.डी.ए और विभाग द्वारा उ.प्र.प. का अप्रस्तुतीकरण का कारण नहीं बताया गया।

इतनी लंबी अवधि के लिए उ.प्र.प. का लम्बित होना न केवल अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र और विभाग की खराब निगरानी का सूचक था बल्कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम को भी दर्शाता है।

#### 4.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.), 2016 यह निर्धारित करता है कि जब बिना संलग्न वाउचर के संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर कोषागार से अग्रिम के रूप में आकस्मिक निधि आहरित की जाती है, तो उप-वाउचर से समर्थित और नियंत्रक अधिकारी (सी.ओ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र को ए.सी. विपत्र के आहरण की तिथि से छः माह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 31.03.2022 तक लंबित डी.सी. विपत्रों की वर्ष-वार विवरण तालिका 4.7 में दी गयी है।

तालिका 4.7: ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्रों के जमा करने की वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लंबित ए सी विपत्र		जमा डी सी विपत्र		शेष राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2000-2001	1331	149.96	459	84.82	872	65.14
2001-2002	5493	506.18	2933	318.74	2560	187.44
2002-2003	3846	408.07	2459	306.78	1387	101.29
2003-2004	7640	619.55	5532	505.65	2108	113.90
2004-2005	6664	1,171.01	5095	1,018.00	1569	153.02
2005-2006	6145	1,084.18	4941	872.71	1204	211.47
2006-2007	6053	1,502.66	4774	1,220.40	1279	282.26
2007-2008	6862	1,796.19	5630	1,367.48	1232	428.71
2008-2009	4747	2,937.18	3529	2,369.62	1218	567.56
2009-2010	2087	996.69	1120	724.88	967	271.82
2010-2011	1891	824.63	891	589.46	1000	235.18
2011-2012	1077	1,611.15	602	1,438.20	475	172.95
2012-2013	545	924.98	351	774.00	194	150.98
2013-2014	468	666.82	263	585.10	205	81.72
2014-2015	550	721.23	285	464.12	265	257.11
2015-2016	806	1,224.90	393	831.19	413	393.71
2016-2017	459	1,267.80	190	989.93	269	277.87
2017-2018	335	1,209.12	120	980.84	215	228.28
2018-2019	243	1,061.32	82	883.15	161	178.17
2019-2020	330	2,168.00	103	1,797.41	227	370.59
2020-2021	357	1,911.16	49	1,009.05	308	902.11
2021-2022*	88	1,121.87	10	658.70	78	463.17
<b>कुल</b>	<b>58,017</b>	<b>25,884.67</b>	<b>39,811</b>	<b>19,790.22</b>	<b>18,206</b>	<b>6,094.45</b>

\* सितंबर 2021 तक आहरित किए गए के एसी बिलों को लिया गया है।

राज्य के 14 विभागों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 246 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी) विपत्रों पर ₹ 2,668.28 करोड़ आहरित किए। सितंबर 2021 तक 246 ए.सी विपत्रों में से ₹ 1,121.87 करोड़ के 88 ए.सी विपत्र की निकासी की गयी थी जिनके जमा करने की नियत तिथि मार्च 2022 थी। 88 एसी विपत्र के विरुद्ध केवल ₹ 658.70 करोड़ के 10 डी.सी विपत्र देय तिथि से पहले जमा किए गए तथा ₹ 463.17 करोड़ के शेष 78 ए.सी विपत्र जमा करने के लिए लंबित रह गए।


इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 463.17 करोड़ की शेष राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस उद्देश्य के लिए खर्च की गई है जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। यह वर्ष 2021-22 के व्यय का संभावित अत्योक्ति हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, 2021-22 तक आहरित ₹ 5,631.28 करोड़ राशि के 18,128 ए.सी विपत्र भी 31 मार्च 2022 तक बकाया थे। अग्रिमों के आहारण और लेखों में नहीं लिए जाने से अपव्यय/दुरुपयोग/कदाचार आदि की संभावना बढ़ जाती है।

2021-22 में आहरित कुल ए.सी विपत्रों में से ₹ 171.31 करोड़ के ए.सी विपत्रों को मार्च 2022 में आहरित किया गया था। मार्च में एसी विपत्र के माध्यम से व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट को निःशेष करने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

अधिकतम लंबित राशि वाले विभागों का डीसी विपत्रों के साथ तुलनात्मक विवरण चार्ट 4.2 एवं तालिका 4.8 में दिया गया है।

चार्ट 4.2: प्रमुख विभागों के संदर्भ में लंबित डी.सी. विपत्र



तालिका 4.8: पांच प्रमुख विभागों में लंबित डी.सी. विपत्रों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्रामीण विकास विभाग		चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग		कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग		महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग		स्वास्थ्य, गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2000-2001	272	15.85	86	0.04	3	0.00	0	0	57	0.11
2001-2002	297	29.43	502	15.31	159	0.70	352	12.66	205	4.64
2002-2003	218	40.45	209	2.67	134	2.81	183	14.37	131	2.84
2003-2004	206	38.90	79	5.65	105	1.56	658	26.12	215	8.28
2004-2005	163	53.86	114	27.66	102	0.89	336	20.03	102	7.19
2005-2006	101	51.14	123	20.37	98	9.06	199	51.04	136	3.42
2006-2007	109	35.37	153	50.53	66	8.80	206	87.39	140	6.02
2007-2008	184	33.97	112	116.02	60	12.92	191	64.71	90	2.64
2008-2009	205	54.50	72	82.47	56	47.35	207	54.48	147	10.22
2009-2010	188	54.90	51	64.11	18	1.08	295	45.53	142	22.77
2010-2011	183	85.68	7	0.62	21	2.04	333	37.67	68	30.75
2011-2012	97	63.85	16	0.80	40	5.93	41	5.06	32	7.88
2012-2013	85	79.55	3	0.10	9	6.95	26	30.12	6	0.16
2013-2014	106	30.30	17	30.12	6	2.07	10	0.18	6	0.56
2014-2015	138	121.68	8	18.96	7	2.47	7	0.09	13	33.77
2015-2016	195	160.70	18	39.59	80	16.51	10	83.72	29	31.08
2016-2017	120	51.40	9	8.32	16	4.72	0	0.00	24	29.65
2017-2018	121	48.79	3	2.49	8	2.01	0	0.00	24	35.89
2018-2019	122	49.99	3	4.44	1	0.00	1	0.45	8	45.10
2019-2020	134	80.86	1	0.44	5	140.00	0	0.00	65	123.69
2020-2021	260	228.26	5	356.50	9	25.73	1	0.15	17	202.48
2021-2022	166	315.20	39	454.36	9	584.05	5	14.16	3	22.67
<b>कुल</b>	<b>3670</b>	<b>1,724.63</b>	<b>1,630</b>	<b>1,301.57</b>	<b>1,012</b>	<b>877.65</b>	<b>3,061</b>	<b>547.93</b>	<b>1,660</b>	<b>631.81</b>

जैसा कि तालिका 4.8 से देखा जा सकता है, 2000-01 से आहरित ए.सी. बिल इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद समाशोधन के लिए लंबित थे, यह एक गंभीर अनियमितता थी और सरकारी धन के दुरुपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए लंबित डीसी विपत्रों को नियमित करने और निपटाने के लिए सरकार की त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

#### 4.6.1 पूँजीगत कार्य के लिए ए.सी विपत्र पर निधियों का आहरण

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 318 के अनुसार, केवल आकस्मिक प्रकृति के व्यय के उद्देश्य से एसी विपत्रों का आहरण किया जाना चाहिए और पूँजीगत कार्यों के लिए एसी विपत्रों पर धन निकासी की अनुमान्य नहीं है।

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के अभिलेखों की जाँच के क्रम में यह देखा गया कि भूमि अधिग्रहण और सड़क एवं पुल निर्माण के लिए क्रमशः ₹ एक करोड़ और ₹ 114.52 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के अंतर्गत स्वीकृत किए गए थे। अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, रांची, झारखण्ड ने ₹ 115.52 करोड़ (मार्च 2012 से दिसम्बर 2015) ए.सी विपत्रों पर आहरित किया था और झारखण्ड राज्य ग्रामीण सड़क विभाग प्राधिकार (जे.एस.आर.आर.डी.ए) को कार्य संपादित करने के लिए स्थानांतरित किया। वर्षवार निकासी विवरण तालिका 4.9 में दिया गया है।

तालिका 4.9: पूँजीगत कार्यों के लिए एसी विपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	टी. भी. संख्या	ए.सी विपत्र दिनांक	ए.सी विपत्र की राशि	लंबित डी.सी विपत्र की राशि
2011-2012	4515	0030	31-03-2012	10.00	0.00
2012-2013	4515	00001	01-03-2013	14.00	0.00
2012-2013	4515	00002	01-03-2013	3.50	0.00
2012-2013	4515	00003	01-03-2013	17.50	0.00
2014-2015	4515	00001	02-02-2015	10.00	0.00
2014-2015	4515	00001	10-07-2014	39.52	0.00
2014-2015	4515	00010	09-03-2015	0.50	0.50
2014-2015	4515	00001	09-03-2015	0.50	0.50
2015-2016	4515	00004	23-12-2015	10.00	10.00
2015-2016	4515	00017	23-12-2015	10.00	10.00
कुल				115.52	21.00

स्रोत : वी.एल.सी. आंकड़ा , प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) का कार्यालय झारखण्ड .

ए.सी विपत्रों पर पूँजीगत कार्यों का निष्पादन कोषागार संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध था और विभाग द्वारा इससे बचा जाना चाहिए था। पूँजीगत कार्यों को पूरा करने के लिए अग्रिम के रूप में बड़ी धनराशि प्रदान करने से न केवल सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को जोखिम होता है बल्कि इसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक बड़ी राशि भी सरकार के नियंत्रण के बाहर रहती है।

यह भी देखा गया कि मार्च 2015 में दो किशतों में विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए प्रदान की गई ₹ एक करोड़ की राशि भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को स्थानांतरित की जानी चाहिए थी लेकिन जे.एस.आर.आर.डी.ए के लेखा शेष में सात वर्ष से अधिक समय तक निष्क्रिय रूप से रखा गया था।

विभाग का उत्तर (दिसंबर 2022 तक) प्रतीक्षित है।

#### 4.6.2 डीसी विपत्रों का अप्रस्तुतिकरण - ₹ 133.00 करोड़

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 194 के अनुसार नियंत्री अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उप वाउचरों के साथ समर्थित डीसी विपत्र प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) को छह महीने के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस अवधि की सामाप्ति के बाद कोई ए.सी. विपत्र पर निकासी तब तक नहीं की जा सकती जब तक पूर्व के विपत्रों का विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाये।

प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) के कार्यालय के वाउचर लेवल कम्ययूटीकरण (वीएलसी) आंकड़ा के अनुसार, 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान अनुदान संख्या 55 के तहत मुख्य शीर्ष 3054 और 4515 में एसी विपत्रों के माध्यम से ₹ 133 करोड़ आहरित किए गए थे, लेकिन डीसी विपत्र जमा नहीं किए गए। विवरण तालिका 4.10 में दिया गया है।

तालिका 4.10: लंबित डीसी विपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मुख्या शीर्ष	टी. भी. संख्या	ए.सी विपत्र दिनांक	ए.सी विपत्र की राशि	लंबित डी.सी विपत्र	डी. डी. ओ. कोड
2012-13	3054	00001	52/12-13	07.02.2013	52.00	PRJSES042
2014-15	3054	00001	02/14-15	19.12.2014	60.00	PRJORD002
2014-15	4515	00010	07/14-15	09.03.2015	0.50	PRJORD002
2014-15	4515	00001	08/14-15	09.03.2015	0.50	PRJORD002
2015-16	4515	00004	14/15-16	23.12.2015	10.00	PRJSES042
2015-16	4515	00017	13/15-16	23.12.2015	10.00	PRJSES042
<b>कुल</b>					<b>133.00</b>	

यह देखा गया कि पूर्व में आहरित ए.सी विपत्र के विरुद्ध डी.सी विपत्र प्रस्तुत किए बिना बार-बार ए.सी विपत्रों की निकासी की गयी। जे.एस.आर.आर.डी.ए. द्वारा अभिलेखों के अनुचित रख-रखाव के कारण लेखापरीक्षा के दौरान कार्य पर स्वीकृत-वार व्यय को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। लंबी अवधि के लिए ₹ 133 करोड़ की राशि के डी.सी विपत्रों को जमा न करना एक गंभीर अनियमितता है और इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम की संभावना सन्निहित है।

#### 4.6.3 वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्रों का आहरण

विनियोग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कोषागार से आहरित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अन्दर किया जाना चाहिये। अग्रतर झारखण्ड कोषागार

संहिता के नियम 300 में प्रावधान है कि कोषागार से कोई धनराशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिये जब तक कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। आगे, कोषागार से मांग की प्रत्याशा में अग्रिम की निकासी कार्य के निष्पादन, जिसमें अधिक समय लगने की संभावना है, के लिए विनियोग को समयवाधिता से बचाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, मार्च के अंतिम सप्ताह में कोषागार से धनराशि आहरित करते समय, डी.डी.ओं को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि आहरित सभी धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष के अन्दर कर दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 2000-15 की अवधि में मार्च माह में 26 ए.सी. विपत्रों पर ₹ 48.09 करोड़ का आहरण किया गया था जिसका विवरण तालिका 4.11 में दिया गया है।

तालिका 4.11: वित्तीय वर्ष के अंत में आहरित ए.सी विपत्रों का विवरण  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	मुख्या शीर्ष	ए.सी विपत्र
1	2000-01	2515	81,258
2	2003-04	2515	58,86,000
3	2005-06	2515	1,19,80,000
4	2010-11	2515	30,00,000
5	2011-12	4515	10,00,00,000
6	2012-13	4515	35,00,00,000
7	2014-15	4515	1,00,00,000
कुल			48,09,47,258

प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में ए.सी विपत्र पर निधि का आहरण, निधि की व्यपगतता से बचने के लिए न केवल बजटीय नियंत्रण प्रणाली की विफलता है बल्कि इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम भी शामिल है। विवरण परिशिष्ट 4.1 में दिया गया है।

इसी प्रकार, गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 2021-22 तक एसी विपत्रों पर आहरित ₹ 1,225.63 करोड़ में से अक्टूबर 2022 तक विभाग द्वारा ₹ 109.52 करोड़ के डीसी विपत्र जमा नहीं किये गये, दिनांक 20.06.2022 तक लंबित डी.सी विपत्रों का वर्षवार विवरण तालिका 4.12 में दिया गया है।

तालिका 4.12: लंबित डी.सी विपत्रों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	ए.सी. विपत्रों की संख्या	राशि	डी.सी. विपत्रों की संख्या	राशि	लंबित ए.सी. विपत्र	राशि
2245	2019-20 तक	807	712.84	472	632.04	335	80.80
	2020-21	5	310.67	4	299.56	1	11.11
	2021-22	2	205.12	1	187.51	1	17.61
कुल		814	1,228.63	477	1,119.11	337	109.52

अग्रतर, एनडीसी, बोकारो के अभिलेखों की जांच से पता चला कि एनडीसी, बोकारो द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, विनियोग अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध, ₹ 50 लाख का आहरण किया गया था। ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डीसी विपत्र अक्टूबर 2022 तक जमा नहीं किए गए थे।

#### 4.7 स्थानीय निधियों की जमा

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, कोषागार से राशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह त्वरित भुगतान के लिए आवश्यक न हो।

वित्त लेखों और वाउचर स्तरीय कम्प्यूटीरीकरण (वीएलसी) आंकड़ा की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख लेखा शीर्ष 8448 स्थानीय निधियों के जमा के तहत लघु शीर्षों में लेन-देन से संबंधित 172 खाते 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित थे।

शेष राशि का वर्षवार विवरण तालिका 4.13 में दिया गया है।

तालिका 4.13: स्थानीय निधियों की जमा का वर्षवार विच्छेद

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2017-18	9,488.40	12,694.02	8,979.76	13,202.66
2018-19	13,202.66	9,875.32	8,730.74	14,347.24
2019-20	14,347.24	10,447.62	11,088.27	13,706.59
2020-21	13,706.59	12,279.45	9,683.19	16,302.85
2021-22	16,302.85	10,246.04	11,022.02	15,526.87

तालिका 4.13 से यह स्पष्ट है कि 2017-18, 2018-19 और 2020-21 के दौरान व्यय प्राप्तियों के मुकाबले कम था जिसके कारण इन वर्षों में अंत शेष में वृद्धि हुई।

2021-22 के दौरान, संवितरण प्राप्तियों से ₹ 775.98 करोड़ अधिक हुआ, जिससे वर्ष के अंत में शेष में कमी आई। आगे, उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मार्च 2022 को ₹ 15,526.87 करोड़ की एक बड़ी राशि सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर थी।

अग्रतर, झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 343 में प्रावधान है कि यदि किसी अनुदान को व्यय करने की समय सीमा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं की गयी है तो उस राशि को उचित समय में निर्धारित उद्देश्य पर व्यय किया जाना चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि अनुदान का कोई भाग तत्काल व्यय के लिए आवश्यक न हो तो उसे सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए।

जिला परिषदों के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि छः प्रशासकों ने उक्त नियमों का पालन नहीं किया तथा ₹ 51.83 करोड़ की अव्ययित निधि को “8448-

स्थानीय निधि जमा के तहत 109-पंचायत निकाय निधि," में तीन वर्षों से अधिक समय से अवरुद्ध रखा, जैसा कि तालिका 4.14 विवरण में दिया गया है।

**तालिका 4.14: तीन वर्षों से अधिक समय से अवरुद्ध राशि**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	तीन वर्षों से अधिक समय से अव्ययित राशि
1	जिला परिषद्, लातेहार	6.25
2	जिला परिषद्, हजारीबाग	20.59
3	जिला परिषद्, गढ़वा	8.32
4	जिला परिषद्, लोहरदगा	4.73
5	जिला परिषद्, गोड्डा	8.07
6	जिला परिषद्, खूंटी	3.87
कुल		51.83

वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लंबे समय तक लेखाओं में पड़ी अव्ययित शेष राशि समेकित निधि में स्थानांतरित नहीं किया जाना न केवल वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था बल्कि इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम भी शामिल था।

#### 4.8 व्यक्तिगत जमा खाता

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 328 से 330 में प्रावधान है कि जहाँ लोकहित में अधिक व्यय की आवश्यकता हो जो सामान्य कोषागार पद्धति द्वारा संभव नहीं हो सरकारी सेवक द्वारा विशेष मामलों में व्यक्तिगत जमा (पी.डी.ए.) खाते का उपयोग किया जा सकता है। वित्त विभाग की सहमति तथा महालेखाकार (ले.व.ह) द्वारा अधिकृत किये बिना कोषागारों में कोई व्यक्तिगत जमा खाते (पी.डी.ए.) नहीं खोले जा सकते हैं। पी.डी. लेखें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए और वित्त विभाग के प्राधिकार के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के लिए आवश्यक धन जमा करने के लिए खोले जाते हैं। वित्त विभाग प्राधिकार पत्र में एक तारीख निर्दिष्ट करता है जिसके लिए खाता को खोला जाना है। ऐसी तारीख की समाप्ति के पश्चात्, कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (ले.ह.) की पूर्व अनुमति के बिना खाते को बंद कर देता है। खाताधारक जैसेकि लेखे का प्रशासक, वित्त विभाग के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (ले. व.हक.) को सूचित करते हुए कोषागार पदाधिकारी द्वारा खाते को बंद करते समय बकाया राशि कोषागार में जमा किया जाना चाहिए।

वित्त विभाग ने सभी जिलों के कोषागार पदाधिकारियों को जिला भू-अर्जन अधिकारियों के नाम से दिसम्बर 2019 माह में पी.डी. खाते खोलने के निर्देश दिये। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निधि जमा करने के लिए 24 पी.डी. खाता खोले गए। ये सभी खाते चालू अवस्था में हैं और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,746.53 करोड़ की प्रारंभिक शेष में ₹ 606.52 करोड़ की राशि जोड़ी गई थी। इन पी.डी. खातों में कुल जमा राशि में से वर्ष के दौरान ₹ 334.91 करोड़ का

वितरण किया गया और वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 2,018.13 करोड़ की राशि खातों में शेष रह गयी।

#### 4.9 लघुशीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

‘अन्य प्राप्तियों’ और ‘अन्य व्यय’ से संबंधित लघु शीर्ष 800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है।

37 मुख्य शीर्षों में कुल प्राप्तियों ₹ 30,187.86 करोड़ में से ₹ 1,414.30 करोड़ (4.68 प्रतिशत) ‘लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत बुक किया गया। आगे, जैसा कि तालिका 4.15 में दर्शाया गया है, वर्ष 2021-22 दौरान ₹ 864.93 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरुद्ध ₹ 819.17 करोड़ की राशि 13 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुक किए गए थे जो 60 प्रतिशत से अधिक थे।

तालिका 4.15: वित्तीय वर्ष के दौरान लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियाँ के अधीन दर्ज किए गए महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्ति	'800' में बुक किया गया	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0801	उर्जा	47.91	47.91	100.00
2	0059	लोक निर्माण	16.69	16.69	100.00
3	0852	उद्योग	9.67	9.67	100.00
4	0220	सूचना तथा प्रचार प्रसार	0.02	0.02	100.00
5	0075	विविध सामान्य सेवा	482.68	482.39	99.94
6	0071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3.32	3.31	99.70
7	1456	जन आपूर्ति	131.76	130.74	99.23
8	0702	लघु सिंचाई	1.6	1.55	96.88
9	0215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	9.69	9.04	93.29
10	0701	मध्यम सिंचाई	42.21	37.89	89.77
11	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	107.39	72.66	67.66
12	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	8.78	5.35	60.93
13	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.21	1.95	60.75
कुल			864.93	819.17	94.71

#### 4.10 जमा, प्रेषण, उंचत तथा ऋण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

उंचत शीर्ष तब संचालित किए जाते हैं जब सूचना की प्रकृति की कमी या अन्य कारणों से प्राप्तियों और भुगतानों के लेन-देन खाते के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किये जा सकते हैं। इन लेखा शीर्षों को अंततः नकारात्मक डेबिट या नकारात्मक क्रेडिट द्वारा निष्पादित किया जाता है, जब उनके अंतर्गत राशियों को उनके

संबंधित अंतिम लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में शेष उचंत शेष राशि उस वर्ष के सरकार की प्राप्तियों और व्यय के सटीक प्रतिबिम्ब पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। राज्य के उचंत शेषों की स्थिति तालिका 4.16 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 4.16: उचंत शीर्ष- 8658 के तहत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष के नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	150.67	138.66	307.17	309.99	437.28	438.51	557.75	557.26
शुद्ध	डेबिट. 12.01		क्रेडिट. 2.82		क्रेडिट. 1.23		डेबिट. 0.49	
102-उचंत लेखा (सिविल)	28.67	23.33	34.22	26.72	41.87	40.83	93.21	122.57
शुद्ध	डेबिट. 5.34		डेबिट. 7.50		डेबिट. 1.04		क्रेडिट. 29.36	

तालिका 4.17: प्रेषण शीर्ष-8782 के अंतर्गत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष 8782- नकद प्रेषण								
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
102-पी.डब्ल्यू प्रेषण	37,102.27	37,220.48	47,673.35	47,785.76	55,208.80	55,332.72	62,735.61	62,817.53
शुद्ध	क्रेडिट. 118.21		क्रेडिट 112.41		क्रेडिट 123.92		क्रेडिट 81.92	
103-वन प्रेषण	1,291.04	1,291.68	1,831.09	1,832.93	2,394.30	2,404.06	3,035.51	3,078.97
शुद्ध	क्रेडिट 0.64		क्रेडिट 1.84		क्रेडिट 9.76		क्रेडिट 43.46	

स्रोत : झारखण्ड सरकार का वित्त लेखा

इन शीर्षों के तहत शेष राशि के निहितार्थ नीचे बताए गए हैं:

• वेतन एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) उचंत

इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष उन भुगतानों का प्रतिनिधित्व करता है जो केन्द्र सरकार के विभागों के पी.ए.ओ. की ओर से प्रधानमहालेखाकार (ले. ह.) झारखण्ड द्वारा भुगतान किए गए, जिसका वापस किया जाना शेष है। बकाया क्रेडिट शेष राज्य सरकार की ओर से पी.ए.ओ. द्वारा किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) के द्वारा अभी तक समायोजित करना बाकी है। यह देखा गया कि निवल शेष 2018-19 में क्रेडिट शेष ₹ 12.01 करोड़ से बदलकर 2021-22 में ₹ 0.49 करोड़ डेबिट शेष हो गया। इस शीर्ष (₹ 0.49 करोड़) के तहत शुद्ध डेबिट शेष के निपटान पर, राज्य सरकार का नकद शेष इस स्तर तक बढ़ जाएगा। हालांकि, इस शीर्ष के अंतर्गत बचा हुआ उचंत शेष नगण्य था।

• उचंत लेखा (सिविल)

इस लघु शीर्ष का उपयोग प्राप्तियों (क्रेडिट) तथा होने वाले व्यय (डेबिट) को बुक करने के लिए किया जाता है, जो प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर निष्पादित की जाती है। इस मद के निष्पादन पर नकद

शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान इस उंचत शीर्ष के तहत निवल शेष राशि ₹ 5.34 करोड़ के डेबिट से ₹ 29.36 करोड़ के क्रेडिट बीच दोलित रहा।

अधिकारियों तथा लेखा अधिकारियों के खातों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन की समीक्षा से पता चला कि मार्च 2022 के अंत में ₹ 125.38 करोड़ की क्रेडिट शेष पारगमन में था।

#### 4.11 विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन

बजट अनुदानों के अन्दर व्यय पर प्रभावी नियंत्रण और उनके लेखाओं की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विभागों के नियंत्रक अधिकारियों को सक्षम बनाने हेतु राज्य वित्तीय नियम निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी बही खातों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय को प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) की बही खातों में दर्ज आंकड़ों से प्रत्येक माह समाशोधित किया जाना चाहिए।


बजट नियमावली के नियम 134 में यह अपेक्षित है कि व्यय एवं प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण से बचने के लिए नियंत्री अधिकारी को मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) की बही खातों के साथ विभागीय लेखाओं का मिलान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रत्येक वर्ष, प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) बजट नियंत्रण अधिकारियों को झारखण्ड बजट नियमावली की आवश्यकताओं पर प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) की पुस्तकों के साथ प्राप्तियों और व्यय के मासिक और त्रैमासिक आंकड़ों का मिलान करने के लिए बारम्बार कहते रहे।

प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) की पुस्तकों के साथ राज्य की प्राप्तियों और संवितरण के असमाशोधन की नियमित रिपोर्टिंग के बाद, 2021-22 के दौरान यह बदलाव देखा गया कि, विभागीय अधिकारियों के द्वारा जहां 2020-21 में 98.24 प्रतिशत के विरुद्ध राज्य की कुल प्राप्तियों (₹ 80,853.46 करोड़) का 99.40 प्रतिशत (₹ 80,370.45 करोड़) प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) की बही खातों के साथ समाशोधित किया गया था। इसी प्रकार, विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2020-21 में 84.38 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2021-22 के दौरान कुल व्यय राशि ₹ 77,864.88 करोड़ का 95.70 प्रतिशत (₹ 74,516.68 करोड़) का समाशोधन किया गया।

चूंकि राशि का मिलान वार्षिक लेखाओं में प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का उचित आश्वासन प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है, अतः 100 प्रतिशत समाशोधन किया जाना चाहिए। समाशोधन की वर्षवार स्थिति चार्ट 4.3 में दर्शाई गई है।

चार्ट 4.3: 2019-20 से 2021-22 के तीन वर्षों के दौरान समाशोधन की स्थिति



#### 4.12 नकद शेष का समाशोधन

प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) के बही खातो में दर्ज राज्य के नकद शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों {₹ 149.37 करोड़ (डेबिट)} और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों {₹ 13.05 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 162.42 करोड़ (निवल डेबिट) का अंतर था। वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 162.42 करोड़ (निवल डेबिट) के अंतर को प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा समाशोधन और आवश्यक सुधार के लिए आर.बी.आई. रांची से संपर्क किया गया है।

#### 4.13 लेखा मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, संघ और राज्यों के लेखों के प्रारूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित कर सकते हैं। आगे, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने सरकारी लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने, जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जी.ए.एस.ए.बी.) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं।

तालिका 4.18: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई.जी.ए.एस. का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई.जी.ए.एस.-1 सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ - प्रकटीकरण आवश्यकताएँ	इस मानक का उद्देश्य संघ, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (विधान सभा सहित) द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में इस तरह की गारंटियों को एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण मानदंड निर्धारित करना है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा के विवरणी-9 और 20)	कोई कमी नहीं
2.	आई.जी.ए.एस.-2 सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	इस मानक को अनुदानग्राही के साथ साथ अनुदानदाता (गारंटर) के रूप में सरकार के वित्तीय विवरणी में सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धांत निर्धारित करना है। यह मानक सरकार के वित्तीय विवरणी में उचित माध्यम से सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के उचित सिद्धांतों के निर्धारण का लक्ष्य रखता है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 10)	कोई कमी नहीं
3.	आई.जी.ए.एस.-3 सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम	इस मानक का उद्देश्य पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने तथा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा इनके अपने वित्तीय विवरणों में लिए गए ऋण और अग्रिमों की मान्यता, माप, मूल्यांकन और प्रतिवेदन के मानदंडों को दिखाना है।	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 7 एवं 18) प्रचलित और असाधारण लेन-देन में ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण के मामलों के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया था।	अतिदेय ऋणों की वास्तविक राशि और समय, जब तक ऋण का भुगतान किया जाना है, का पता नहीं लगाया जा सका

#### 4.14 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक, लोकहित में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, के विधान मण्डल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने का अनुरोध सी.ए.जी. से कर सकते हैं, और जहाँ इस तरह का अनुरोध किया गया है, सी.ए.जी. को ऐसे निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के परे, जहाँ किसी भी प्राधिकरण या निकाय के खातों का लेखापरीक्षा किसी कानून के तहत अथवा द्वारा सी.ए.जी. को नहीं सौंपा गया है, वह, यदि इस प्रकार का अनुरोध राष्ट्रपति द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा या विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा, जैसा भी मामला हो, किया गया हो, तो ऐसे निकाय या प्राधिकरण को खातों/लेखों का लेखापरीक्षा ऐसे नियम एवं शर्तों पर करेगा जैसा कि उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति हुई हो, और इस तरह के लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, उस निकाय या प्राधिकरण की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा (धारा 20)।

**निकाय या प्राधिकरणों के बकाया लेखे**

सी.ए.जी. के (डी.पी.सी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के लेखापरीक्षा के तहत राज्य में 11 प्रतिवेदित स्वायत्त निकायों से संबंधित लेखा और लेखापरीक्षा की स्थिति का प्रस्तुतीकरण तालिका 4.19 में दिया गया है।

**तालिका 4.19: लेखा के प्रस्तुतीकरण का विवरण और स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा की स्थिति**

क्रम सं.	निकाय/प्राधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2018-19	2018-19	सूचित नहीं किया गया	वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त नहीं किए गए हैं।
2	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी)	2011-12	2011-12	03.03.2014	लेखे का प्रारूप तथा निधि नियम के अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण लेखे का लेखापरीक्षा रोक दिया गया।
3	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एस.एच.ए.जे.)	2020-21	2020-21	सूचित नहीं किया गया	एनट्रस्टमेंट के बाद लेखापरीक्षा पूरा किया गया और एस.ए.आर. वर्ष 2011-12 से 2020-21 अवधि के लिए 26 नवम्बर, 2021 को जारी किया गया।
4	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	2002-03 से 2009-10	डी.पी.सी. एक्ट, 1971 की धारा 19(3) के तहत एनट्रस्टमेंट की कमी के कारण लेखे की लेखापरीक्षा की शुरुआत अभी तक नहीं की गई है।		
5	राष्ट्रीय अध्ययन एवं विधि अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन.यू.एस. आर. एल.), राँची	2016-17	2012-16 की अवधि के लिए एनट्रस्टमेंट प्राप्त किया गया, लेकिन सत्यापित लेखा प्राप्त नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा शुरू नहीं हो सकी।		
6	बिरसा कृषि विश्व विद्यालय	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	एनट्रस्टमेंट प्राप्त किया गया, लेकिन आज तक कोई लेखा प्राप्त नहीं किया गया है।		
7	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास)	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
8	झारखण्ड हाउसिंग बोर्ड राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
9	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
10	बाबा बैद्यनाथ धाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	29.11.2022 को पाँच लेखांकन वर्षों के लिए एनट्रस्टमेंट प्राप्त हुआ। लेखाओं की प्रतिकक्षा है।		
11	झारखण्ड अक्षय उर्जा विकास एजेंसी	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		

सक्रिय अनुसरण के बावजूद झालसा के लेखापरीक्षित लेखे के संबंध में एस.ए.आर. के उपस्थापन संबंधित जानकारी सूचित नहीं की गई है। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने उपरोक्त तालिका में उल्लिखित चार निकायों (क्र. सं. 6 से 11) के लेखों को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से बात की गयी,

लेकिन शुरूआत से ही इनके लेखे लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गए। हालाँकि, इन निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं।

आगे, राज्य के 11 प्रतिवेदित स्वायत्त निकायों के प्रेषण हेतु बकाया लेखों का विवरण तालिका 4.20 में दी गयी है।

तालिका 4.20: 31 मार्च 2022 तक जमा करने के लिए देय खातों की संख्या

क्रम सं.	निकाय/प्राधिकरण के नाम	वर्ष से लंबित खाते	वित्तीय वर्ष 2021-22 तक लंबित खातों की संख्या
1	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एस.एच.ए.जे.)	2021-22	01
2	झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2019-20	03
3	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी)	2012-13	10
4	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	2010-11	12
5	राष्ट्रीय अध्ययन एवं विधि अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन.यू.एस. आर. एल.), राँची	2010-11	12
6	बिरसा कृषि विश्व विद्यालय	2006-07	16
7	झारखण्ड हाउसिंग बोर्ड राँची	2001-02	20
8	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण	2009-10	13
9	झारखण्ड अक्षय उर्जा विकास एजेंसी	2016-17	6
10	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास)	सरकार से एनट्रस्टमेंट की प्रतिक्षा है।	
11	बाबा बैद्यनाथ धाम- बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण	29.11.2022 को पांच वर्षों के लिए एनट्रस्टमेंट प्राप्त हुआ।	

#### 4.15 निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण

निकायों एवं प्राधिकरणों जिन्हें समेकित निधि से ऋणों या अनुदानों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है या जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋण या अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हें सी.ए.जी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। अभी तक, राज्य में 75 ऐसे प्रतिवेदित निकाय एवं प्राधिकरण हैं।

संवीक्षा से पता चला कि 75 निकायों/प्राधिकरणों में से, किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने अक्टूबर 2022 तक अपने अद्यतन खाते प्रस्तुत नहीं किए, जबकि पाँच<sup>2</sup> निकायों/प्राधिकरणों ने शुरूआत से अपना लेखा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया। 70 निकायों एवं प्राधिकरणों का लेखापरीक्षा पूरा कर लिया गया है जैसा कि परिशिष्ट 4.2 में वर्णित है।

आगे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के तहत सरकार/ विभागाध्यक्ष को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है:

<sup>2</sup> (i) झारखण्ड राज्य हिन्दू धर्म ट्रस्ट परिषद (ii) कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड (iii) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची (iv) सरकारी प्रेस (v) वन विकास प्राधिकरण

- विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी,
- जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई है, और
- संस्थानों का कुल व्यय

हालाँकि, राज्य के किसी भी विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अक्टूबर 2022 तक ऐसा कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराया था।

#### 4.16 दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 31 में उल्लेखित है कि गबन या अन्य प्रकार से लोक धन, सरकारी राजस्व भंडारों या अन्य सम्पत्ति के नुकसान के बारे में कार्यालय द्वारा उच्चतर अधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कर दी गई हो तो भी इसे सूचित करना अपेक्षित है। जैसे ही संदेह होता है कि हानि हुई है, ऐसी सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा पूछताछ के आधार पर विलम्ब नहीं की जानी चाहिए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को कोई सूचना अग्रेषित नहीं की गई है।

#### 4.17 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, पी.ए.सी./वित्त विभाग को विधान मण्डल में प्रतिवेदन के उपस्थापन के एक महीने के भीतर सम्बंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत कंडिका पर एक स्वप्रेरित व्याख्यात्मक टिप्पणी (ई.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है। सम्बंधित विभागों को प्रतिवेदन उपस्थापन के तीन महीने के भीतर महालेखाकार को (पी.ए.सी. को विवीक्षा एवं अग्रतर संचरण हेतु) की गई कार्रवाई पर टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2011-12 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.4.4 में प्रावधानों से आधिक्य व्यय ₹ 8,120.12 करोड़ (पिछले वर्षों से संबंधित) को लेखंकित किया गया था जिसको राज्य विधानमंडल द्वारा लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की सिफारिश पर विनियमित (13.01.2014) किया गया था। उस तारीख के बाद प्रावधानों पर किसी आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया, क्योंकि इस संबंध में पी.ए.सी. द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित अन्य कोई कंडिका पर दिसम्बर 2022 तक लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं की गयी।

#### 4.18 निष्कर्ष

मार्च 2022 तक एकत्रित ₹ 664.19 करोड़ राशि का श्रम उपकर को 2021-22 के दौरान श्रम कल्याण बोर्ड में स्थानांतरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों के

दौरान (2008-22) राजस्व अधिशेष में अत्योक्ति हुई और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई। जून 2022 यथा वित्तीय वर्ष के पश्चात् राज्य द्वारा ₹ 154 करोड़ बोर्ड को हस्तांतरित किया गया।

31 मार्च 2022 तक, ₹ 1,03,459.14 करोड़ राशि के 39,064 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) बकाया थे।

31 मार्च 2022 तक ₹ 6,094.45 करोड़ की राशि के 18206 ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्र बकाया थे।

अव्ययित शेष राशि (₹ 2018.13 करोड़) का लम्बे समय तक पी.डी. खाते में पड़े रहना तथा समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं होना न केवल वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि लोक निधि के दुरुपयोग, गबन तथा दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

#### 4.19 अनुशंसाएँ

- झारखण्ड सरकार को यथासंभव श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रम उपकर का सम्पूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बोर्ड भवन निर्माण एवं अन्य दूसरे निर्माण कर्मियों की कार्य स्थिति के विकास एवं इन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा कर सके।
- वित्त विभाग को निर्धारित समय सीमा के अन्दर लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यू.सी.) को जमा करने के लिए पहल करनी चाहिए। अनुदान जारी करने वाले प्रशासनिक विभाग को अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से अधिक समय से लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को एकत्रित करने के लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यतिक्रमी अनुदानग्राही को आगे अनुदान जारी नहीं हो। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की पहल करनी चाहिए, जो उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत न करते हों।
- वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित समय से अधिक समय से लम्बित सभी ए.सी. विपत्र एक समयबद्ध तरीके से समायोजित हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ए.सी. विपत्रों का आहरण सिर्फ बजट को समाप्त होने से बचने के लिए न हो।
- वित्त विभाग को सभी पी.डी. खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन पी.डी. खातों में रखी गयी सभी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाए। अग्रतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और नियमावली का अनुसरण करने में विफल रहने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

